RTI Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली NEW DELHI - 110011
TEL : 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/59/2013-14

12 सितम्बर, 2013

सेवा में,
श्री चेतन चावला
लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
वन विज्ञान भवन, सेक्टर-5,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश का दिनांक 2 सितम्बर, 2013 का पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 19एफ 006551 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय वस्तु प्रदूषण नियंत्रण विभाग से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश -कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।
2. श्रीयुत वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक, डाकघर, बरेली डिवीजन, बरेली उत्तर प्रदेश सूचनार्थ।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

154
7/9/13

P.P.I-S.P

Department Of Posts
O/O Sr Supdt of Post Offices Bareilly Division Bareilly-243001

To
Mananiya Kendriya Jan Suchna Adhikari
Up Rashtrapati Sachivalaya
6 Maulana Azaad Road,
New Delhi- 110011

No- OS/RTI /FORWARDING-1/September/13-14 /DATED AT BAREILLY 04/09/2013.

Sub-Regarding Forwarding The RTI Application of Shri Fareed Hussain, 453, Hussain Bagh, Kila, Bareilly ,under RTI Act 2005.

****

Find Enclosed herewith a letter of Shri Fareed Hussain, 453, Hussain Bagh, Kila, Bareilly,under RTI Act 2005., for causing compliance. You are requested to forward the compliance report to the addressee direct and a copy to this office for information also.

Enclosures: Original Application and IPO No 19F 006551 Amt Rs 10/-.

Sr.Supdt. of Post Office
BareillyDiv. Bareilly-243001

Copy to : Shri Fareed Hussain, 453, Hussain Bagh, Kila, Bareilly,for his kind information.

Sd

Sr.Supdt. of Post Office
BareillyDiv. Bareilly-243001

माध्यम से. प्रवर अधीक्षक डाकघर बरेली.२४३००१

सेवा में

मा० केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी.

आर.टी. आई.एक्ट २००५

उप राष्ट्रपति सचिवालय.

६, मौलाना आज़ाद रोड,

नई दिल्ली.११००११

विषय.सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ७ के अधीन सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन सम्बन्धी सूचनाएं ४८ घण्टें में प्रदान किये जाने के संदर्भ में।

प्रिय महोदय.

बरेली दिनांक २/०६/२०१३

निवेदन है कि प्रार्थी फरीद हुसैन ने दिनांक ३०/०८/०१३ को मा० अवर सचिव उप राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली को एक प्रार्थना पत्र मुहल्ला हुसैन बाग में फैले जानलेवा प्रदूषण के प्रकरण में इस सचिवालय के माध्यम से सरकार के सम्बन्धित विभागों को हस्तांतरित किये जाने वाले निर्देश पत्रों को उन विभागों के माध्यम से रददी की टोकरी के हवाले किये जाने पर उन विभागों को उप राष्ट्रपति सचिवालय की गरिमा की याद दिलाने का उप राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव महोदय से अनुरोध किया था इसलिए आप कृपया उपरोक्त प्रार्थना पत्र {छाया प्रति संलग्न} पर कृत कार्यवाही के संदर्भ में प्रार्थी फरीद हुसैन को निम्नलिखत सूचनाएं प्रदान करवाने का कष्ट करें।

{१} मा० सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण में जीने के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया है संविधान के अनुच्छेद २१ में जीने का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल है कूड़े को सॉलिड वेस्ट {मैनेजमेंट एंड हैंडलिग} रुल्स २००० के तहत सार्वजनिक स्थल पर डालना अपराध है इसमें पॉच साल की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा पर्यावरण

संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा १९ के तहत भी यह अपराध है और भारतीय दंड संहिता १९६० की धारा २७८ के तहत भी वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बनाना जुर्म है इन सब नियम कानूनों का सम्बन्धित विभागों से पालन करवाने में महामहिम उप राष्ट्रपति व राष्ट्रपति द्वारा सन २०१० में स्थापित मा० नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपना विशेष योग्यदान दे सकता है अस्ट्रेलिया के बाद केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास इस प्रकार के मामलों के तेज गति से निस्तारण के लिए इस प्रकार की ट्रिब्यूनल है इसलिए उप राष्ट्रपति सचिवालय की गरिमा की याद दिलाकर मा० नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को निम्नलिखित के विरुद्ध केस फाइल करने के लिए आपके सचिवालय के माध्यम से पत्र हस्तांतरित किया गया है या नहीं बताने की कृपा करें और उस पत्र की प्रति भी प्रेषित करवा दें।

{२}यदि अभी आपके सचिवालय के माध्यम से मा० नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष महोदय को निम्तलिखित के विरुद्ध केस फाइल करने के लिए पत्र हस्तांतरित नहीं किया गया है तो इसे कब तक हस्तांतरित किया जाएगा ।

{a) नगर आयुक्त नगर निगम बरेली

(B) जिलाधिकारी बरेली

(C) प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ

(D) प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग.लखनऊ

(E) सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ

प्रार्थी

Fareed,

फरीद हुसैन

४५३.हुसैन बाग.

किला.बरेली. २४३००३